कार्यालय जिला पंचायत,

महात्मा गांधी नरेगा शाखा, उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)

zp-kanker.cg@ nic.in zpmgnrega@gmail.com Phon/Fax 07868-241482

-: विज्ञापन :-

क्रमांक/ 4029 /जि.पं/मनरेगा/लेखा-स्था/17-18 कांकेर, दिनांक 2/6/17

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन संचालित महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना छत्तीसगढ़ के अंतर्गत जनपद पंचायत स्तर पर अधोवर्णित पदों व उनके सम्मुख दर्शाये गए विवरण अनुसार एक वर्ष अथवा कम अवधि की संविदा (निश्चित वेतनमान पर) नियुक्ति हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताऐं विशेष योग्यता सहित वांछित अर्हताधारी एवं इच्छुक अभ्यर्थियों से दिनांक 05 जुलाई, सायं 5.30 बजे कार्यालयीन समय तक संपूर्ण योग्यता एवं अनुभव आदि प्रमाण पत्रों सहित आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में आमंत्रित किये जाते है। विस्तृत जानकारी आवेदन पत्र का प्रारूप नियम एव शर्ते जिला पंचायत कांकेर, के सूचना पटल एवं जिले के वेबसाईट www.kanker.gov.in पर देखा जा सकता है।

क्र	पद का नाम एवं आरक्षण	पद संख्या	मासिक वेतन	न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता	मेरिट हेतु अंक निर्धारण	
1	2	3	4	5	6	7
01	तकनीकी सहायक (जन.पंचा.हेतु) अनारक्षित मु.-2 अजजा म.-1 अजजा मु.-5	08	18,900/-	1. BE/ B.Tech (सिविल/कृषि अभियंत्रिकीय) 2.पालिटेक्निक डिप्लोमा (सिविल ब्राच से) 3. BE/पालिटेक्निक डिप्लोमा इंजीनियरिंग (किसी भी ब्रांच से), 4. MSC (भौतिक / गणित) , 5. BSC गणित	1. न्यूनतम शैक्षणिक अर्हरता में 100 अंको का Weightage देते हुये 2. कम्प्युटर प्रायेगिकी परीक्षा पर 3.शासकीय ग्रामीण विकास योजनाओं में कम से कम समान वेतनमान पर कार्यानुभव :- * न्यूनतम 1 से 2 वर्ष तक अनुभव - 5 अंक * 5 वर्ष तक अनुभव - 10 अंक * 5 वर्ष से अधिक अनुभव - 15 अंक	70 15 15
03	डाटा एण्ट्री आपरेटर (जन.पंचा.हेतु) अजजा मु.- 1	01	13,776/-	01. कक्षा 12वीं (10+2) बोर्ड द्वारा उत्तीर्ण अथवा कक्षा 10 वीं बोर्ड द्वारा उत्तीर्ण एवं किसी भी विषय त्रिवर्षीय उत्तीर्ण 02. डाटा एट्री आपरेटर/प्रोगामिंग में किसी मान्यता संस्था से एक वर्षिय डिप्लोमा 03. कम्प्यूटर में हिन्दी एवं अंग्रेजी में 8000(Key) डिप्रेशन प्रतिघंटा की गति,	1. न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंकों का Weightage देते हुये 2. कम्पूटर की प्रायोगिय परीक्षा से प्राप्त मेरीट अंक के आधार पर (बस्तर एवं सरगुजा संभाग के लिये 33 अंक प्राप्त करना अनिवार्य) 100 अंक का Weightage देते हुये। 03.शासकीय ग्रामीण विकास योजनाओं में कम से कम समान वेतनमान पर कार्यानुभव :- * न्यूनतम 1 से 2 वर्ष तक अनुभव - 5 अंक * 5 वर्ष तक अनुभव - 10 अंक * 5 वर्ष से अधिक अनुभव - 15 अंक	20 65 15

क्र	पद का नाम एवं आरक्षण	पद सं.	मासिक वेतन	न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता	मेरिट हेतु अंक निर्धारण	
1	2	3	4	5	6	7
04	सहायक ग्रेड-03 (जन.पंचा. हेतु) अजजा मु.-3 अपिव मु.-1	04	10,612/-	01. मान्यता प्राप्त मंड़ल से 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण अथवा पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय के स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण। 02. मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री आपरेटर / प्रोग्रामिग में एक वर्षीय डिप्लोमा प्रमाण पत्र तथा 3. कंप्यूटर में हिन्दी टायपिंग का 5000 की (Key) डिप्रेशन प्रतिघंटा की गति, (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी)	01. न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशतों पर 100 अंको का Weightage देते हुये 02. कम्प्यूटर व प्रायोगिकी परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर 100 अंको का Weightage देते हुये 03.शासकीय ग्रामीण विकास योजनाओं में कम से कम समान वेतनमान पर कार्यानुभव :- * न्यूनतम 1 से 2 वर्ष तक अनुभव - 5 अंक * 5 वर्ष तक अनुभव - 10 अंक * 5 वर्ष से अधिक अनुभव - 15 अंक	40 45 15
05	भृत्य (जन.पंचा.हेतु) अनारक्षित मु.-1	01	8,470/-	पांचवी पास	01. पांचवी में प्राप्त प्रतिशत पर 02. हायर सेकेण्डरी में प्राप्त प्रतिशत 03.शासकीय ग्रामीण विकास योजनाओं में कम से कम समान वेतनमान पर कार्यानुभव :- * न्यूनतम 1 से 2 वर्ष तक अनुभव - 5 अंक * 5 वर्ष तक अनुभव - 10 अंक * 5 वर्ष से अधिक अनुभव - 15 अंक	65 20 15

प्रमुख निर्देश :-

1. उपरोक्त विज्ञापित सभी पद पर जिले के स्थानीय निवासरत अभ्यर्थी ही, आरक्षित वर्गवार आवेदन कर सकेंगे।
2. वर्तमान में केवल उल्लेखित आरक्षित प्रवर्गों पर ही चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जावेगी।
3. इसके पश्चात जिले में उल्लेखित आरक्षित वर्गों के अतिरिक्त समस्त वर्गों के अभ्यर्थियों की 01:05 वर्ष हेतु प्रतिक्षा सूची बनाई जावेगी जिसमें आवश्यकतानुसार, समय-समय पर रिक्त पदों की भर्ती की जा सकेगी।
4. नियुक्ति में आरक्षित रिक्त पदों पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी 100 बिंदु रोस्टर का पालन किया जा रहा है।
5. सामान्य सूची के प्रकाशन पर दावा/आपत्ति के बाद 01 सामान्य मैरीट सूची बनाई जावेगी, जिसमें 01 के अनुपात पर 10 मैरीट के अभ्यर्थियों की ही प्रायोगिक परीक्षा ली जावेगी। यह विदित हो कि प्रायोगिक परीक्षा लिखित अथवा कंप्युटर पर ली जा सकेगी, यह निर्णय अधोहस्ताक्षरकर्ता की होगी।
6. नियत प्रायोगिक अथवा लिखित परीक्षा में ऋणात्मक मुल्यांकन (Minus marking) किया जावेगा।
7. दावा/आपत्ति हेतु नियत तिथि के पश्चात प्रकाशित सूची को ही शुद्ध/सत्य मानकर, इसी सूची के अनुसार ही आगामी कार्यवाही अग्रेषित की जावेगी, इसके पश्चात किसी भी प्रकार की लिपिकिय त्रुटी अथवा संशोधन हेतु प्राप्त आवेदन मान्य नहीं किये जायेंगे।
8. सत्यापन अथवा प्रायोगिक परीक्षा में सम्मिलित होने के किसी भी चरण में सम्मिलित नहीं होने वाले अभ्यर्थि को किसी भी स्थिति में नियुक्ति नहीं दी जावेगी।
9. कंप्युटर परीक्षा में कम से कम 50% अंक अर्जित करना अनिवार्य होगा एवं ऐसे अभ्यर्थि ही नियुक्त होंगे व प्रतीक्षा सूची में सम्मिलित किये जायेंगे।
10. नियोक्ता किसी भी स्थिति में मैरीट सूची दावा/आपत्ति हेतु प्रदर्शित/प्रकाशित करने के लिए बाध्य नहीं होंगे।
11. भृत्य पद के आवेदक 05वीं के साथ-साथ 12वीं उत्तीर्ण अंकसूची की प्रस्तुत कर सकेंगे, अन्य प्रमाण पत्र यथावत होंगे। शैक्षणिक आर्हता एवं अनिवार्य योग्यता के लिए पृथक अवसर प्रदान नहीं किए जायेंगे।

महात्मा गांधी नरेगा योजनांतर्गत संविदा पर नियुक्ति के संबंध में नियम व शर्तें :-

1. संविदा नियुक्ति एक वर्ष अथवा कम अवधि के लिए होगी ।
2. रिक्त पदों की संख्या आवश्कतानुसार घटाई-बढ़ाई जा सकती है।
3. छ.ग.शासन के नियमानुसार विकलांग/महिला/भूतपूर्व सैनिकों के लिए उक्त पदों में पूर्ण आरक्षण दिया जावेगा ।
4. संविदा नियुक्ति छ.ग.शासन द्वारा जारी संविदा नियुक्ति नियम 2012 में निहीत शर्तो के अनुसार की जावेगी ।
5. **संविदा पर की गई नियक्ति पूर्णतः अस्थाई होगी एवं बिना कारण बताये भी सेवा समाप्त की जा सकती है ।**
6. सेवा समाप्ति के बाद कर्मचारियों को किसी भी प्रकार की पेंशन भत्ता या अन्य राशि प्रदान नहीं की जावेगी ।
7. कोई भी अभ्यर्थी जिसकी पहले से 02 जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हो किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये योग्य नही होगा। साथ ही छ.ग. सिविल सेवा सेवा की सामान्य शर्ते नियम 1961 में नियुक्ति के लिये अनर्हताऐं भी लागू होगी ।
8. क्रमांक 01 से 05 तक के समस्त पदों पर जिला स्तर के अभ्यर्थियों के आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। जिले से बाहर के आवेदन मान्य नहीं किए जायेंगे।
9. अभ्यर्थी को छ.ग.राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है। सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न करे ।
10. अजा/अजाजा/एवं पिछड़ा वर्ग के जाति के पुष्टि में आवेदक को प्राधिकृत अधिकारी तहसीलदार/अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) द्वारा जारी स्थायी प्रमाण पत्र की छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
11. शैक्षणिक योग्यता में छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त संस्था/ विश्वविद्यालय द्वारा जारी प्रमाण (जिसमें UGC द्वारा जारी मान्यता प्राप्त संस्थाएं सम्मिलित हैं) पत्र मान्य होगा।
12. आवेदक का रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन आवश्यक है ।
13. आवेदक की आयु 01.06.2017 की स्थिति में न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष। अजा/अजाजा/एवं पिछड़ा वर्ग एवं महिला को राज्य शासन द्वारा समय समय पर जारी किये गए आदेशों के अनरूप आयु सीमा में छुट की पात्रता होगी ।
14. आवेदन निर्धारित प्रारूप में जमा किया जावे। आवेदन के साथ वांछित प्रमाण पत्रों एवं अंकसूची **स्व प्रमाणित** होनी चाहिए। वांछित प्रमाण पत्र नहीं होने पर आवेदन अमान्य किया जावेगा ।
15. आवेदन पत्र में पासफोर्ट साईज का नवीनतम फोटो चस्पा किया जाना अनिवार्य है ।
16. प्रत्येक पद के लिए पृथक-पृथक आवेदन दिया जाना होगा ।
17. अपूर्ण/अस्पष्ट एवं त्रुटीपूर्ण आवेदन पत्रों पर कोई सूचना नहीं दी जावेगी एवं आवेदन निरस्त कर दिया जावेगा ।
18. लिफाफे के उपर पद का नाम जिसके लिए आवेदन किया जा रहा है के पद हेतु आवेदन किया जा रहा है को स्पष्ट उल्लेख किया जावे अन्यथा आवेदन निरस्त किया जा सकता है। इसी प्रकार लिफाफे के ऊपर प्रेषक का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता आवश्यक रूप से लिखें, आवेदन के साथ स्वयं का पता लिखा हुआ 02 लिफाफा भी संलग्न करे। किसी भी प्रकार की सूचना हेतु केवल वर्तमान पता को ही मान्य किया जावेगा।
19. आवेदक का आवेदन दिनांक 05/07/2017 को सायं 5:30 बजें तक कार्यालयीन समय में पंजीकृत डाक से जिला पंचायत कार्यालय कांकेर में अनिवार्य रूप प्राप्त हो जाना चाहिए, दिनांक 05/07/2017 को सायं 5:30 बजे के पश्चात प्राप्त आवेदन स्वीकार नही किया जावेगा, और ऐसे आवेदन अमान्य समझे जाएंगें ।
20. चयन होने के पश्चात नियोक्ता के साथ करार पत्र (संविदा पत्र) निष्पादित करना होगा ।
21. अनुभवी अभ्यर्थी को कार्यरत संस्था से नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं संस्था प्रमुख द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। उक्त के अभाव में अभ्यावेदन मान्य नही होगा।
22. ऐसे अभ्यर्थि जिन्हे महात्मा गांधी नरेगा योजनांतर्गत विपरित कारणों से सेवा निरंतर नहीं किया गया हो, अथवा पद से पृथक किया गया हो, आवेदन करने के पात्र नहीं होगें।
23. प्राप्त आवेदनों के संबंध में अधोहस्ताक्षकर्ता का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा ।

21/6/2017

कलेक्टर,
एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक (मनरेगा)
जिला उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)

आवेदन-पत्र का प्रारूप

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत, उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)

स्वहस्ताक्षरित

नवीनतम फोटो

1. आवेदित पद का नाम - ....
2. आवेदक का पुरा नाम (हिन्दी में) - ....
3. पिता /पति का नाम - ....
4. (अ) जन्म तिथि - ....
   (ब) दिनांक 01.06.2017 को आयु - वर्ष .... माह .... दिन ....
5. (अ) पत्र व्यवहार का वर्तमान पता - ....
....
....

   (ब) स्थायी पता - ....
....
....

6. जाति (प्रमाण पत्र संलग्न करें) - ....
7. रोजगार पंजीयन क्रमांक - ....दिनांक...............
   वैधता दिनांक सहित - ....
   रोजगार कार्यालय का नाम - ....

10.शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता - ....

क्र.	परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष	बोर्ड/ विवि का नाम	विषय	प्राप्तांक /पूर्णांक
1	2	3	4	5	6

11.राष्ट्रीयता - ....
12.जन्म स्थान - तहसील..................जिला.....................

13.विवाहित/अविवाहित - ....

14.विवाहित हो, तो विवाह की तिथि - ....

15.जिवित बच्चों की संख्या/ जन्मतिथि - संख्या..............जन्मतिथि.......................

16.अन्य योग्यता /अनुभव - ....

17.क्या आवेदक शासकीय /अर्धशासकीय संस्था में सेवारत है?- ....
यदि हां तो नियोक्ता का अनापत्ति/अनुमति संलग्न करें।

18.मोबाईल नंबर - ....

19.संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची (स्वप्रमाणित होना चाहिए)

01. .... 06. ....
02. .... 07. ....
03. .... 08. ....
04. .... 09. ....
05. .... 10. ....

दिनांक ....
स्थान ....

आवेदक का हस्ताक्षर

घोषणा पत्र

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूं कि मैने विज्ञापित पात्रता की शर्तों को ध्यान से पढ़ लिया है, जहां तक मेरी जानकारी और विश्वास है, इस आवेदन पत्र में दिए गये सभी प्रविष्टियां सत्य और सही हैं, मुझे मालूम है कि यदि कोई जानकारी असत्य एवं गलत पायी जावेगी तो मेरा आवेदन निरस्त किया जावेगा, और चयन के उपरांत भी मेरा चयन या मेरी नियुक्ति निरस्त की जावेगी, जिसके विरूद्ध मेरे द्वारा कोई दावा प्रस्तुत करने का अधिकार मुझे मान्य होगा।

संलग्न प्रमाण पत्रों की, मूल प्रति मांगे जाने पर मेरे द्वारा प्रस्तुत किया जावेगा।

दिनांक ....
स्थान ....

....

....
....

आवेदक का हस्ताक्षर नाम
एवं पूरा पता